

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2318 / 2010 / श्रीगंगानगर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर
बनाम

मैसर्स गंगा फ्लोर मिल्स
श्रीगंगानगर

.....अपीलार्थी.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा – सदस्य

उपस्थित ::

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक
वी.के.पारीक, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20 / 06 / 2014

निर्णय

यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 08 / आरवैट / श्रीगंगानगर / 2009-10 में पारित किये गये आदेश 03.05.2010 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने गेहूँ से आटा, मैदा, सूजी व चोकर का निर्माण करके विक्रय करता है। प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 12.12.2007 को सर्वेक्षण करने पर सर्वेक्षण अधिकारियों ने पाया कि अलोच्य अवधि वर्ष 2006-07 में प्रत्यर्थी व्यवहारी ने 4 प्रतिशत की दर से वैट चुकाकर कच्चे माल गेहूँ की खरीद की तथा इस प्रकार से की गई खरीद पर इनपुट टैक्स केडिट क्लेम किया। कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आटा, मैदा, सूजी कर योग्य तथा चोकर कर मुक्त है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आटा के निर्माण में प्रयुक्त गेहूँ पर आलोच्य अवधि में इनपुट टैक्स केडिट का क्लेम किया। कर निर्धारण अधिकारी ने द्वारा इनपुट टैक्स केडिट को रिवर्स कर दिया क्योंकि चोकर के निर्माण में गेहूँ का उपयोग किया गया है तथा चोकर कर मुक्त वस्तु "बाई प्रोडक्ट" है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त तथ्यों के आधार पर अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज आरोपित कर दिया तथा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्त आरोपित की गई। उक्त इनपुट टैक्स केडिट को रिवर्स किये जाने एवं आरोपित ब्याज एवं शास्ति के

विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 03.05.2010 को आदेश पारित कर रिवर्स टैक्स, ब्याज एवं शास्ति को अपास्त कर अपील स्वीकार की। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर राजस्व की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 का हवाला देते हुए कथन किया गया कि उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने वेट अधिनियम की धारा 18(1) के विशिष्ट प्रावधानों के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कच्चे माल गेहूं से निर्मित कर मुक्त माल चौकर की बिक्री की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होने से रिवर्स टैक्स आरोपण को विधिसम्मत माना गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा गेहूं की खरीद पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त माल चौकर की बिक्री के अनुपात में आगत कर लाभ को कम करते हुए आनुपातिक रूप से रिवर्स टैक्स आरोपित किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रकरण को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1992) 85 एस.टी.सी. 220 एवं माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त श्रीगणेश कॉटन ट्रेडर्स बनाम स्टेट आफ हरियाण एवं अन्य (2002) 127 एस.टी.सी. 313 से आच्छादित मानकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्लेम किये गये आई.टी.सी. को विधिसम्मत मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित रिवर्स टैक्स, शास्ति व ब्याज को अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गई है एवं अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया प्रत्यर्थी व्यवहारी कच्चे माल के रूप में गेहूं प्रयुक्त करके मुख्यतः आटे का निर्माण करता है तथा आटे के निर्माण के साथ-साथ सह उत्पाद चौकर या ब्रान का निर्माण होता है, जो कि बाई प्रोडक्ट्स है। उनका कथन है कि गेहूं का प्रयोग आटे के निर्माण हेतु किया जाता है जबकि चौकर के निर्माण हेतु नहीं किया जाता है इसलिए अधिनियम की धारा 18 के अनुसार आटे के निर्माण में प्रयुक्त किये गये कच्चे माल गेहूं की खरीद पर चुकाया गया आई टी सी स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के प्रकरण में पारित निर्णय (23 टैक्स अपडेट 360) को उद्धृत किया। उनका कथन है कि आई टी सी गलत होने से आरोपित ब्याज भी अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है इसलिए

200 ✓

आरोपित शास्ति भी अपास्त योग्य है। उन्होंने उक्त के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से वेट चुकाकर खरीद किये गये गेहूं का उपयोग आटा, मैदा, सूजी व चापड़ विनिर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में किया गया है, जिसमें आटा, मैदा व सूजी कर योग्य उत्पाद हैं एवं चापड़ कर मुक्त है; जिनका राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर विक्रय किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कच्चे माल के रूप में वैट चुकाकर खरीदे गये उक्त गेहूं के मूल्य पर कलेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे पर विचारण के पश्चात वेट अधिनियम की धारा 18(1) के प्रावधानों के आलोक में विक्रय किये गये कर योग्य माल के निर्माण में प्रयुक्त गेहूं के मूल्य के अनुपात पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय होने एवं बिक्रीत कर मुक्त उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त गेहूं के मूल्य के अनुपात पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय नहीं होना मानते हुए निर्मित कर मुक्त चापड़ की बिक्री के अनुपात में कलेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि रिवर्स की जाकर रिवर्स टैक्स एवं ब्याज आरोपित करने का आदेश दिनांक 02.02.2009 पारित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील में पारित किये गये अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 03.05.2010 द्वारा व्यवहारी के प्रकरण को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1992) 85 एस.टी.सी. 220 एवं माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2002) 127 एस.टी.सी. 313 से आच्छादित मानते हुए व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रिवर्स टैक्स, ब्याज एवं शास्ति आरोपण के आदेश को अपास्त कर दिया गया है।

इस प्रकरण के सम्बन्ध में विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा उद्धरित प्रत्यर्थी व्यवहारी के ही प्रकरण से पारित किये गये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय कर बोर्ड के मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर की अपीलों में पारित निर्णय दिनांक 13.3.2009 के विरुद्ध विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई एस.बी.सिविल सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन संख्या 193-194/2009, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 8.12.2011 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर पैरा 20, 21 व 22 में प्रतिपादित सिद्धान्त निम्न प्रकार है :—

"20. In the considered opinion of this Court, therefore, in view of specific provisions contained in Section 18 of the VAT Act of 2003, the ratio of the judgments relied upon by the learned counsel for the respondent-assessee would in fact support the

case of the Revenue, and as a necessary corollary, it deserves to be held following these aforesaid judgments, that input tax credit in the present case, was rightly reduced and was allowed only proportionately to the extent of manufacturing and sale of taxable goods by the assessee in the present case, namely, "Aata", "Maida" and "Suji", manufactured out of raw material (wheat) and such input tax credit could not be allowed to the extent of sale of VAT exempted goods, namely, wheat bran (Chaff/Chokar), which has been assessed by the Assessing Authority to the extent of 25% of the input tax credit and reverse tax has been imposed on the respondent-assessee.

21. Therefore, as far as impugned order of learned Tax Board dated 13.03.2009 to the extent of setting aside the imposition of reverse tax disallowing the proportionate input tax credit is concerned, the same cannot be sustained and deserves to be quashed by this Court, and to that extent the revision petitions filed by the petitioner-Revenue deserve to be allowed.

22. However, as far as question of penalty u/s 61 of the Act is concerned, the imposition of the same by the Assessing Authority under Section 61 of the Act of 2003 to the extent of double the amount of tax is concerned, the same cannot be sustained and deletion of penalty in these circumstances, where a debatable question was agitated by the respondent-assessee before the appellate forums created under the Act, it cannot be said that the assessee deliberately filed wrong returns or particulars of taxable turnover or malafide claimed 100% input tax credit. A benefit of doubt in this regard certainly goes in favour of respondent-assessee."


इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अभिनिर्णय में व्यवहारी को कर मुक्त उत्पाद के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट अस्वीकार करते हुए रिवर्स टैक्स आरोपण की सीमा तक कर बोर्ड का विवादित आदेश दिनांक 13.3.2009 अपास्त किया जाकर व्यवहारी की ओर से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा एवं इसके रिटर्न अथवा विशिष्टियां जानबूझकर प्रस्तुत नहीं करना मानते हुए व्यवहारी के विरुद्ध धारा 61 के

-5-अपील संख्या - 2318 / 2010 / श्रीगंगानगर

अन्तर्गत शास्ति आरोपण को अनुचित मानकर इस सीमा तक कर बोर्ड के आदेश की पुष्टि की गई है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) के आदेश दिनांक 30.08.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं एवं प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध आरोपित रिवर्स टैक्स यथावत पुनः बहाल (restore) किया जाकर इस सीमा तक उपायुक्त (अपील्स) के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.05.2010 अपास्त किया जाता हैं तथा उपायुक्त (अपील्स) के धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति अपास्त करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है।

निर्णय सुनाया गया।



(सुनील शर्मा)
सदस्य